<u>षोडश माला, खंड 21, अंक 11</u>

<u>बुधवार, 30 नवंबर, 2016</u>
9 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

श्री उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमरसिंह
निदेशक

रजिन्दर कुमार
संयुक्त निदेशक

पिंकी साव
संपादक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 21, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)
अंक 11, बुधवार, 30 नवंबर 2016 / 9 अग्रहायण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	11
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 201	15-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 220	20
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	21-29
राज्य सभा से संदेश	30-31
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	32
27वां प्रतिवेदन	
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	32
14वां और **15**वां प्रतिवेदन	

मंत्री द्वारा वक्तव्य 33

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा

सदस्यों द्वारा निवेदन

विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में 34-49

नियम 377 के अधीन मामले 60-85

(एक) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को ग्रुप 'घ' कर्मचारियों के रूप में नियमित करने के साथ-साथ ग्रुप घ कर्मचारियों को देय पर्याप्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 61-62

(दो) मध्य प्रदेश के उज्जैन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

प्रो. चिंतामणि मालवीय 63

(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने एवं किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाया राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु राजी किए जाने की आवश्यकता

श्री राघव लखनपाल 64

(चार) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रीधपुर में रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस 65

(पांच) भारी अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड, राँची, झारखंड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 66

(छह) जादूगोडा, झारखण्ड में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड की खानों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विद्युत वरण महतो 67

(सात) निर्वाचन के दौरान दूसरे राज्य में जाकर बसने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 68

(आठ) रेल यात्रा हेतु छात्रों के लिए निःशुल्क मासिक सीजन टिकट पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी 68

(नौ) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैद्य देवली रेलवे स्टेशन का विकास और प्रचालन किए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया 70

(दस) राजस्थान के नागौर, मेड़ता और डेगाना में मूंगदाल का न्यूनतम सांविधिक मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 71

(ग्यारह) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत योजना का त्रुटिविहीन कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले 72

(बारह) राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, बागवानी क्षेत्र और लघु उद्योगों के विकास के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री मानशंकर निनामा 73

(तेरह) कर्नाटक में व्यापत सूखे की स्थिति के बारे में

श्री डी.के. सुरेश 74

(चौदह) केरल के अलप्पुझा जिले के अर्थुंगल और थोटापल्ली में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. वेणुगोपाल 75

(पंद्रह) करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के कारण तमिलनाडु के किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में

श्री सी. महेन्द्रन 76

(सोलह) तमिलनाडु के थेनी जिले में फूड पार्क और एग्री एक्सपोर्ट जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. पार्थिपन 77

(सत्रह) गरीबों को उचित मूल्य पर औषधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) 78

(अठारह) ओडिशा के कटक में गडखई दाय परियोजना का समय पर कार्यान्वयन, नवीकरण और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 79

(उन्नीस) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव जाधव 80

(बीस) आन्ध्र प्रदेश के मंगलागिरी में क्लस्टर-सह-हथकरघा पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला 81

(इक्कीस) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लम्बित परियोजनाओं के बारे में

श्रीमती कोथापल्ली गीता 82

(बाईस) देश के किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 83-84

(तेईस) जानलेवा बीमारी सेप्सिश की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम दास राई 84-85

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रह्लाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह
श्री के.एच. मुनियप्पा
डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 30 नवंबर, 2016 / 9 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन* हुईं]

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 1, महासचिव जी।

महासचिव: श्री पार्था प्रतिम रे।

श्री पार्था प्रतिम रे (कूच बिहार)	शपथ	बंगला
श्री दिव्येन्दु अधिकारी (तामलुक)	शपथ	बंगला

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, *...(व्यवधान)* मैं आपको याद दिला रहा था।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक मिनट रुकिए। मुझे मालूम है। मुझे पता है। मेरे पास भी है। मुझे याद है लेकिन उस मामले में मैं कुछ और भी जानकारी ले रही हूं। हमेशा करते हैं।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी ऑबिच्युरी नहीं। किस बात की? एडजर्नमेंट?

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : क्या बोलना चाहते हो? मुझे मालूम है। मेरी बात सुनिए। आपने जो ऑबिच्युरी की बात कही है, मैंने एस.जी. से भी कहा है क्योंकि जो मैं सुन रही हूं, कॉम्बिंग चल रही है। वह जानकारी पहले पूरी ले लेते हैं, वह होने दीजिए। ऑबिच्युरी देने में कभी कोई बात नहीं है। पूरी रिपोर्ट आ जाए। मुझे पता है। आज आपको क्या हो गया?

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम हमेशा ऑबिच्युरी करते हैं। मैंने केवल इतना कहा है कि पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। मुझे मालूम है कि सात जवान शहीद हुए हैं। अगर कॉम्बिंग चल रही है तो उसे पूरा होने दीजिए और हम करेंगे।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं होता है। देश के जवानों ने देश की रक्षा में अपनी जान दे दी है।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऑबिच्युरी के लिए क्या किसी ने मना किया है?

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

... *(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : खड़गे जी, यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा के बारे में विवाद का विषय नहीं होना चाहिए।... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रो. सौगत राय, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बात सभी को स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। अभी तक हमने हर समय पर ऑबिच्युरी की है।

... *(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : देश की रक्षा के बारे में राजनीति करना देश हित में नहीं है।... *(व्यवधान)* एक बार जब हमें पूरा ब्योरा मिल जाएगा ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता है।

… *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है। मुझे बस एक ही बात कहनी है कि कॉम्बिंग चल रही है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, जो जवान बार्डर पर शहीद हुए हैं, उनके लिए सभी की तरफ से श्रद्धांजलि है।... *(व्यवधान)* पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि है, भारत सरकार की श्रद्धांजलि है।... *(व्यवधान)* अभी कोम्बिंग ओपरेशन चल रहा है, उसका पूरा ब्यौरा प्राप्त होने के बाद सदन में ऑबिच्युरी प्रस्ताव

रखने वाले हैं।... *(व्यवधान)* यह कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। यह बहुत दुख की बात है कि ऐसे संवेदनशील मामले को विपक्ष विवाद का विषय बना रहा है।... (व्यवधान) यह कतई ठीक नहीं है।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह कोई पोलिटिकल बात नहीं है। हम हमेशा ऑबिच्युरी करते आए हैं। हर जवान को हमने श्रद्धांजलि दी है। इस बात को इस तरह से सदन में उठाया गया है, यह वास्तव में बहुत दुखद बात है। सबके मन में उनके लिए दुख है।

प्रश्न 201 - डॉ0 वीरेन्द्र कुमार।

<u>पूर्वाह्न **11.07** बजे</u>

प्रश्न का मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 201 - डॉ0 वीरेन्द्र कुमार।

(प्र.201)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और उसमें बताया है कि भारतीय आईटी कम्पनियों ने घरेलू स्तर के साथ-साथ यूएसए में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। नैसकॉम के अनुसार स्थानीय स्तर के साथ-साथ यूएसए में रोजगार सृजन की औसत वृद्धि 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत देखी गई है।

महोदया, अमरीका की आईटी कम्पनियों में भारतीय लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारतीय लोगों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व कई अमेरिकियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका द्वारा भारतीय आईटी पेशेकरों को रोकने के लिए यूएस वीजा शुल्क में वृद्धि की गई है और उस वृद्धि में कितने आईटी पेशेकरों का अमेरिका जाना बाधित हुआ है? क्या सरकार ने इस दिशा में अमेरिकी प्रशासन से बात करके भारतीय आईटी पेशेकरों को संरक्षण दिलाने की कोई पहल की है?

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, भारत के आईटी क्षेत्र पर देश को गर्व करना चाहिए। दुनिया के 80 देशों के 200 शहरों में हमारी आईटी कम्पनियां हैं और ग्लोबल टेल का 56 परसेंट भारत के पास है। हमें सदन को यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में वर्ष 2015 में 35 लाख लोगों को इस फील्ड में नौकरी मिली है और वर्ष 2016 में यह बढ़कर 37 लाख संख्या होने वाली है। यह प्रत्यक्ष नियुक्ति है और लगभग एक करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिली हैं।

महोदया, मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इसमें 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। आईटी क्षेत्र ने हर क्षेत्र में बहुत विस्तार से काम किया है और हमारा इनके प्रति पूरा सहयोग है। 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' के माध्यम से हम इस दिशा में और काम करेंगे। मुझे इस बारे में एक बात और कहनी है कि पिछले एक वर्ष में देश में चालीस मोबाइल मैनुफैक्चरिंग कम्पनियां आई हैं... *(व्यवधान)* उनमें लोगों को नौकरियां मिली हैं। जहां तक माननीय सदस्य का अमेरिका के बारे में प्रश्न है, यह सही है कि एल-वन वीजा, एच-वन वीजा में शुल्क वृद्धि हुई है। इस बारे में सरकार की तरफ से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को उठाया है। हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा उनसे स्ट्रक्चर डायलॉग होता है। अमरीका से हमारे संबंध अच्छे हैं। इस बारे में हम और भी काम करेंगे।... *(व्यवधान)*

सदन को एक बात और बताना जरूरी है कि भारत की आईटी कम्पनियों ने पिछले तीन-चार वर्षों में दो बिलियन डालर वहां निवेश किए हैं और बीस बिलियन डालर टैक्स दिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत की आईटी कम्पनियां अमेरिका में अच्छा काम कर रही हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन हल्ला-गुल्ला नहीं करना है, आप बैठिये।

... *(व्यवधान)*

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। ... *(व्यवधान)* इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। इस क्षेत्र में आउटसोर्सिंग पर भले ही आधिक खतरे न हों, परंतु भविष्य में भारतीय आई.टी. कंपनियों के समक्ष चुनौतियां आने वाली हैं।... *(व्यवधान)* दुनिया

के कई राष्ट्र, जिनमें चीन, अमरीका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको आदि भारत को इस क्षेत्र में सुनियोजित रुप से चुनौती देने की कोशिशों में लगे हुए हैं।... *(व्यवधान)*

<u>पूर्वाह्न 11.11 बजे</u>

(इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, प्रो. सौगत राय, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।))

... *<u>(व्यवधान)</u>*

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार नई तकनीकों को बढ़ावा देकर आई.टी. पेशेवरों को डिजिटल तकनीक और डिवाइस थिंकिंग जैसा प्रशिक्षण देकर विश्व परिदृश्य पर भारतीय आई.टी. पेशेवरों की पहचान को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना बनायेगी?... (व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा, अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बहुत प्रमोट किया है।... (व्यवधान) नई नीति बनाने के लिए हम सार्वजनिक चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि भारत के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी आगे बढ़ें, जिसमें भारत का बहुत ही विशेष स्थान बन रहा है।... *(व्यवधान)*

इसके अलावा भारत में आई.टी. सर्विसेज और बढ़ें, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज भारत में स्मार्टफोन्स की संख्या लगभग तीस करोड़ से आधिक है।... *(व्यवधान)* भारत में पचास करोड़ से आधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, आधार कार्ड बहुत फैल रहा है तथा अब जो कैशलैस पेमेन्ट का नया कार्यक्रम चल रहा है, इसमें नई-नई टैक्नोलोजी के माध्यम से नये-नये प्रयोग होंगे और भारत के लोगों का आई.टी. और आधिक एम्पावरमैन्ट होगा। ... *(व्यवधान)*

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कॉमन सर्विस सैंटर हमारे देश में लगभग पौने दो लाख हैं, इन्हें बढ़ाकर हम ढाई लाख करने वाले हैं।... *(व्यवधान)* इसमें महिलाएं, दलित और बाकी लोग काम करते

हैं। उन लोगों ने भी लगभग पांच लाख लोगों को नौकरियां दी हैं।... (व्यवधान) इस तरह से भारत का पूरा आई.टी. इको सिस्टम डिजिटल इंडिया के माध्यम से और आगे बढ़ेगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। अपने स्थान पर जाएं।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: महोदया, माननीय सदस्य, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के.सी. वेणुगोपाल, सुदीप बंद्योपाध्याय, जय प्रकाश नारायण यादव, कोडिकुन्नील सुरेश, धर्मेंद्र यादव, प्रो. सौगत राय, श्रीमती पी.के श्रीमथि टीचर, सर्वश्री पी.के. बीजू, जितेंद्र चौधरी, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, सर्वश्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट जोएस जॉर्ज और मोहम्मद सलीम से 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

हालांकि यह मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के काम-काज में व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर[†]

(तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 220,

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530)

[†] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री,कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015 -2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5535/16/16)

(2) (एक) नार्थ इंस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उमियम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ इंस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उमियम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5536/16/16)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भारतीय तार आधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2015, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं0 सा0का0नि0 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 2015, जो 10 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं0सा0का0नि0 241 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5537/16/16)

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5538/16/16)

(दो) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5539/16/16)

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी की ओर से, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) चंडीगढ़ वक्फ काउंसिल, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) चंडीगढ़ वक्फ काउंसिल, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5540/16/16]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.जे. अकबर): महोदया, जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह की ओर से, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं:-

(1) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5541/16/16]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5542/16/16)

(2) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5543/16/16)

(3) (एक) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5544/16/16)

(4) (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5545/16/16)

(5) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5546/16/16)

(6) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5547/16/16)

(7) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5548/16/16)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वाई.एस. चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5549/16/16)

(2) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5550/16/16)

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5551/16/16)

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5552/16/16)

(5) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5553/16/16)

(6) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5554/16/16)

(7) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी,तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी,तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5555/16/16)

(8) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5556/16/16)

(9) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5557/16/16)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): महोदया, मैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और सूचनाऔर प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5558/16/16)

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

I.'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 8 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है : -

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा इस समिति की पहली बैठक की तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में सम्मिलित हो और उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

1. श्री नरेन्द्र बुढानिया
2. श्री हुसैन दलवई
3. श्री राम नारायण डूडी
4. श्री बी. के. हरिप्रसाद
5. श्री अहमद हसन
6. डॉ. विकास महात्मे

7. श्री विश्वम्भर प्रसाद निशाद

8. श्री राजाराम

9. श्रीमती विजिला सत्यानंत

10.श्री राम नाथ ठाकुर

11.'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 9 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है : -

"यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा, श्री के.सी. त्यागी की राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और संकल्प करती है कि यह सभा उक्त संयुक्त समिति की रिक्ति को भरने के लिए सभा के सदस्यो में से एक सदस्य को एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करने की कार्यवाही करे"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के सदस्य श्री शरद यादव को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है।

अपराह्न 12.07 $\frac{1}{4}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

[अनुवाद]

27वां प्रतिवेदन

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 $^{1}/_{2}$ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

14वां और 15वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदया, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 14वां और 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.07 ¾ बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ‡

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, आई ऐम सॉरी, जो सुबह यहाँ पर ओबिच्युरी रेफरेंस के वक्त हमने उठाया था, वह आपके खिलाफ नहीं था।

माननीय अध्यक्ष : इट्स ओ.के.।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सरकार को जो आपको इनपुट देना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष : ओबिच्युरी स्पीकर की तरफ से था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह इनपुट नहीं देने की वजह से, उनकी गलती की वजह से ऐसी घटना हुई।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इनपुट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के इनपुट का सवाल ही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यह क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं हूँ।

माननीय अध्यक्ष : ओ.के.।

---

‡ सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.5559/16/16।

अपराह्न 12.08 ½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : यह एक चीज है। दूसरी चीज मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह सदन कम से कम 13 दिन से नहीं चल रहा है। हम भी दुःखी हैं, आप भी दुःखी हैं।... *(व्यवधान)* सारा देश दुःखी है।... *(व्यवधान)* आप लोग हमारी बात सुनिए।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप दुःखी हो, यही बहुत बड़ी बात है।

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सुप्रीम पॉवर है, आप इस सदन की मुखिया हैं और सभी रूल्स को सस्पेंड कर सकती हैं, इतनी अथॉरिटी आपके पास है। रूल 388, रूल 389, इन दोनों रूल्स में इस सदन ने आपको इतनी पॉवर दी है कि आप किसी भी रूल को सस्पेंड कर सकती हैं। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हमारा जो एडजर्नमेंट मोशन है, रूल 56 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे लोग वह चर्चा नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी रूल में चर्चा ले लीजिए, जिसमें डिबेट हो जाये और वोटिंग हो।... *(व्यवधान)* डिबेट हो और वोटिंग हो।... *(व्यवधान)* मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको सदन ने रूल 388 और रूल 389 के तहत यह शक्ति दी है कि आप किसी भी रूल को सस्पेंड कर सकती हैं। यह हमने आपके ऊपर छोड़ा है।... *(व्यवधान)* हम डिबेट के लिए तैयार हैं, हम डिबेट से भागना नहीं चाहते हैं।... *(व्यवधान)* हम जनता की तकलीफों को सदन के सामने रखना चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जब आपके लीडर बोल चुके हैं तो फिर शोर करने से क्या फायदा है, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? गौरव जी, बहुत बड़े हो गये हो। वह आपकी तरफ से सभी बात बोल चुके हैं। मैं सुन रही हूँ।

सुदीप जी आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, आज सुबह, हम उन जवानों के लिए निधन संबंधी शोक सन्देश रखना चाहते थे जो शहीद हुए हैं।

हमारे सभा से बाहर चले जाने के पीछे की मंशा आपको ठेस पहुँचाने की नहीं थी। यदि इससे आपको ठेस पहुंची है, तो हम खेद व्यक्त करते हैं किंतु हमें अब भी लगता है कि सरकार आपको अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करवाने में असफल रही है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह भी गलत बात रिकार्ड में मत लाइए। मैंने कहा कि कॉम्बिंग चल रही है। इसीलिए मैंने नहीं किया था। वह मेरा अपना विचार है। उसमें गवर्नमैंट ने जानकारी दी, नहीं दी, ऐसा मत कहें। ऑबिचुरी हमेशा स्पीकर की तरफ से होती है। आप दोनों एक अलग बात प्लीज़ रिकार्ड पर मत लाइए। इसमें गवर्नमैंट का सवाल नहीं है।

... *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आपका तो सपोर्ट गवर्नमैंट चाहती है। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसमें गवर्नमैंट का सवाल नहीं है। मैंने केवल इतना ही कहा था कि क्योंकि कॉम्बिंग चल रही है, वहाँ फैमिलीज़ भी हैं, यह सब कुछ चल रहा है। ऑबिचुरी तो हम हमेशा देते आ रहे हैं। उन्होंने भी गलत बात कही, आप भी गलत कह रहे हैं।

... *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : ठीक है, मैं इसमें नहीं जाता। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : गवर्नमैंट का इसमें कहीं भी सवाल नहीं है। ऑबिचुरी तो मेरी तरफ से होती है।

... *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आपने जो दुख व्यक्त किया, वह सही है। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सवाल डिफैंड का नहीं है। जो बात है, वह मैं बोल रही हूं कि जो तथ्य है? मैं किसी को डिफैंड नहीं कर रही हूँ। मैं आपको भी डिफैंड करने को तैयार हूँ, मैं पूरे हाऊस की बात कर रही हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : सदन की कार्यवाही के बारे में, यह बिल्कुल सही है कि हमने नियम 56 के अधीन स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना भी दी है और वे नियम 193 के अधीन मुद्दे पर चर्चा के लिए किया गया है।

मेरा भी यही विचार है कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए। आप नियम 56 को समाप्त कर सकते हैं, आप नियम 193 को समाप्त कर सकते हैं, साथ ही आपके पास तीसरा रास्ता ढूंढने का पूरा प्राधिकार है। सदन में 300 से ज्यादा सदस्यों का प्रचंड बहुमत होने के बावजूद सरकार मतदान के विषय पर क्यों कतरा रही है? किस लिए? यह स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

हम चर्चा के पक्ष में हैं। हम अपनी टिप्पणियाँ देंगे, यदि आवश्यक हो, तो हम देश के हित में नियम 56 से हट सकते हैं, और उन्हें नियम 193 की अपनी मांग भी वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति में आना चाहिए जहां आप निर्णय ले सकें। आप मतदान का प्रावधान करने वाले किसी भी नियम का समर्थन कर सकते हैं।

मतदान के साथ चर्चा ही हमारी एकमात्र मांग हैं। आप अपनी सहमति दें और कल सुबह से चर्चा शुरू होने दें। आइए हम अपने विचारों और अवधारणाओं का पूरे दिल से और पूरी भावना से आदान-प्रदान करें और

फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। काले धन के विरुद्ध हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। हम काले धन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि काला धन रखने वालों को आजीवन कारावास हो।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? सब बात तो हो गई है।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ये क्या है? यह आपके पीछे जो चल रहा है, क्या यह पद्धति है? मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। यह क्यों दिखाना है? नहीं दिखाना है। आप ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते। मुझे खेद है।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): जब महोदया आपको बैठने के लिए कह रही हैं, तो कृपया बैठ जाएं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : जब महोदया कहती हैं कि ऐसा कुछ न दिखाएं, तो आप कृपया ऐसा न करें। यह भी उसमें शामिल है।

[हिन्दी] *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: मैडम आप नाराज़ हो रही हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीम : नाराज़गी की बात तो है ही। पूरा देश नाराज़ है। उसका भी यहाँ पर रिफ्लैक्शन होना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिये।

श्री मोहम्मद सलीम : मैंने तो अभी तक एक शब्द नहीं कहा। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी बोलिये।

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सब मानते हैं कि यह महत्वपूर्ण फैसला है, इसको नोटबंदी बोलें या डीमॉनेटाइज़ेशन बोलें, यह ऐतिहासिक फैसला है। संसद में सभी लोग चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन किस रूल के तहत चर्चा हो, यह आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। एडजर्नमैंट मोशन हमने दिया। अब 16 तारीख से रोज़ाना हम यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ... *(व्यवधान)* कोशिश यह है कि कोई सूरत निकलनी चाहिए और यह सूरत कैसे निकलेगी? ...*(व्यवधान)* अभी भर्तृहरि महताब जी ने परसों खड़े होकर कहा कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यह पहल होनी चाहिए थी। जीएसटी लेकर कितना हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से एक पहल की गई। सब लोगों ने कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला हो गया। लोग परेशान हैं। लोक सभा में हम जनप्रतिनिधि के रूप में अगर उस परेशानी को उस शक्ल में नहीं लाएँगे, जैसे माननीय सदस्य '80' दिखा रहे हैं, तो कितनी मौतों के बाद हम यह स्वीकार करेंगे कि कुछ मौतें हुईं? कितनी तकलीफ के बाद हम यह स्वीकार करेंगे कि लोग तकलीफ में हैं। कितनी परेशानियों के बाद हम लोक सभा में जनप्रतिनिधि के नाते यह कह पाएँगे कि हमारे जो कांस्टीट्याुएंट्स हैं, वह परेशान हैं। सरकार माने या न माने, यह हकीकत तो है। आप रूल्स के अंदर ही फैसला लेंगी, लेकिन सरकार की जो मंशा है, उसको बेशक आप प्रायॉरिटी देंगी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि लोक सभा यह न हो जाए कि वह सरकार की मंशा की अनुयायी हो जाए, तब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वह काला दिन होगा। आपको यह फैसला लेना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि किस तरह से, किस सूरत में जनता की वेदना को यहां व्यक्त करें। मैं जब यह कह रहा हूं, उनके भी बहुत से कांस्टीट्याुएंट्स हैं, जिनके मन में वेदना है, वह यहां आनी चाहिए, इसलिए मैं एडजर्नमेंट मोशन के लिए कह रहा हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आपके पास लोकतंत्र में और संविधान में संसदीय कार्यों को चलाने के लिए असीम शक्ति है, पॉवर है। हम लोगों की डिमांड है कि नियम 56 के तहत बहस हो, लेकिन यदि उसे नहीं माना जाता है तो जिसमें मत विभाजन की गुंजाइश है, उस धारा के मुताबिक बिना विलम्ब

किए हुए बहस शुरू होनी चाहिए। मुझे कहना है कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हम बहस से नहीं भागते हैं और सत्ता पक्ष को भी बहस से नहीं भागना चाहिए। आपको जनता ने अजेय बहुमत दिया है। अजेय बहुमत वाले आप बहुमत में होंगे, लेकिन मत विभाजन से क्यों भागते हैं? देश जानना चाहता है कि जो निर्णय नोटबंदी का लिया गया है, वह अव्यावहारिक है, परिणाम को बिना समझे हुए किया गया है, तो इस पर बहस हो जाए। हम जनता की आवाज रखेंगे, गरीब की आवाज रखेंगे, गांव की आवाज रखेंगे, तकलीफ रखने का काम करेंगे। चर्चा से विपक्ष नहीं भागता है, तो सत्ता पक्ष को भी नहीं भागना चाहिए, बहस शुरू होनी चाहिए और उस पर मत विभाजन होना चाहिए।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्षा जी, दो बातें हैं। पहला, खड़गे साहब ने एक दुःखपूर्ण विषय के बारे में यहां अपना विचार व्यक्त किया। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जब वहां बार्डर पर एक्शन चल रहा है, कोम्बिंग आपरेशन चल रहा है, तो हमारे वीर जवानों की शहादत के बारे में, उनको श्रद्धांजलि के बारे में राजनीति करना शोभा नहीं देता है, ठीक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। ... *(व्यवधान)* वहां एक्शन अभी भी चल रहा है। ... *(व्यवधान)* कोम्बिंग आपरेशन चल रहा है। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कोई राजनीति नहीं। ठीक है, बैठिए।

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : हमारे वीर जवान लड़ रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

दूसरी बात, ये लोग बहस के बारे में कह रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि 16 तारीख से सरकार बहस के लिए तैयार है। ... *(व्यवधान)* काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो मुहिम हमने शुरू की है, संघर्ष शुरू किया है, उससे आम जनता को, गरीबों को लाभ पहुंचा है। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कोई राजनीति नहीं, बैठिए।

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए 16 तारीख से हम तैयार बैठे हैं। हर दिन हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ... *(व्यवधान)* लेकिन एक पीड़ा की बात है, आपने दूसरे सदन में चर्चा शुरू की। वहां छः घंटे की चर्चा करवाई, बीच-बीच में उसे रोका, लेकिन यहां चर्चा अब तक शुरू नहीं की। ... *(व्यवधान)* आप चर्चा करिए। ... *(व्यवधान)* सुदीप बंदोपाध्याय जी ने कहा कि कल से शुरू करेंगे। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया?

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, यदि खड़गे साहब और ज्योतिरादित्य जी मानेंगे, तो अब से चर्चा करना शुरू करते हैं, हम अभी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ... *(व्यवधान)* हर पहलू के बारे में हम जवाब देंगे। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ? बैठिए। क्या हो गया? बैठिए।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कोई राजनीति नहीं।

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, खड़गे जी जब चाहें वाक इन करें, जब चाहें वाक आउट करें, इससे संसद का कोई फायदा नहीं होगा। जब चाहे वाक इन करेंगे, जब चाहे वाक आउट करेंगे, हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ... *(व्यवधान)* इसमें दो अलग आवाजें नहीं हो सकतीं, पार्लियामेंट से दो सुर नहीं निकल सकते। ... *(व्यवधान)* काले धन के खिलाफ पूरा देश एक है, पूरा सदन एक है, ऐसा हम मानते हैं। ... *(व्यवधान)* विपक्ष भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ... *(व्यवधान)* जब ऐसा है तो इसको वोटिंग के तहत डिवाइड करना, एक डिवाइडेड मैसेज देश को देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब क्या हुआ?

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वे कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर मुझे सबको बोलने देना होगा।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : किसका नाम लिया?

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं।... *(व्यवधान)* हमने आपसे बार-बार यही विनती की है कि किसी भी प्रोविजन में डिबेट शुरू कीजिए, उस पर वोटिंग हो जाए, मतदान हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं।... *(व्यवधान)* वे कहते हैं कि हम भाग रहे हैं।... *(व्यवधान)* हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं।... *(व्यवधान)* गरीबों का गला घोंटकर,... *(व्यवधान)* 82 लोग मर गए हैं, लाखों लोग जख्मी हो गए हैं।... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्षा जी, यदि ये तैयार रहते, तो 16 तारीख से 30 तारीख तक 12 दिन हो गए हैं।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : गरीब लोगों को दो हजार रुपये के लिए लाइन में अपनी जान खोनी पड़ रही है।... *(व्यवधान)* आप गलत हैं।... *(व्यवधान)* हम तैयार हैं।... *(व्यवधान)* हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप सब बैठिए।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : बार-बार इधर से, उधर से कुछ मत बोलिए। खड़गे जी, आपने जो बात कही, मैंने वह सुन ली है कि मैं सब रूल अलग रख सकती हूं, मेरी जो पावर है। मेरा आज सबसे निवेदन है, अगर आप तैयार हैं,

तो एक बात हो सकती है। मैंने वैसे भी शून्य काल पर चर्चा घोषित कर दी है। आप सब जानते हैं। जोशी जी ज्यादा अच्छा बता सकेंगे। हम शून्य से शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड तक भी पहुंच जाते हैं।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैं सब बातें अलग रखती हूं क्योंकि आप नियम 193 के अंतर्गत, नियम 56 आदि किसी रूल के अंतर्गत तैयार नहीं हैं। सब रूल दूर रखकर आप अभी तुरंत चर्चा शुरू कीजिए। हम शून्य से कुछ खोजने की कोशिश करें। मैं अभी तैयार हूं। आप शुरू कीजिए। मैं तैयार हूं।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अगर आप चाहें तो बाकी सब बात छोड़कर शून्य में खोजने की कोशिश कीजिए।

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कोई भी किसी रूल के अंतर्गत चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यदि आप विवाद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप वाद-विवाद करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार: हम तैयार हैं, महोदया... (*व्यवधान*) एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।... *(व्यवधान)*

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब रूल बाजू में रखकर हो सकता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, पूरी सभा आपकी पीड़ा को समझ सकती है जब आप कहती हैं कि कोई भी नियमों के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है - न इस तरफ से और न ही उस तरफ से। आपने अध्यक्षपीठ से जो पीड़ा व्यक्त की है, उससे प्रत्येक सदस्य अवगत है। इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। महोदया, मेरा आपसे यही अनुरोध है। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज कहा है कि हम काले धन पर इस सभा को विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे कौन विभाजित कर रहा है। न तो विपक्ष, न विपक्ष के नेता और न ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता काले धन पर 'मतभेद' चाहते हैं। हम, नोटबंदी के कारण इस देश के लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सरकार को इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए। इस देश का हर राज्य, हर नागरिक कष्ट में है। यही कारण है कि हम स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हम काले धन पर कोई 'मतभेद' नहीं चाहते। ... (*व्यवधान*) हमने कल कहा था कि काले धन के मुद्दे पर पूरा देश और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। हम काले धन पर कोई 'मतभेद' नहीं चाहते। लेकिन यह एक चर्चा है या वाद-विवाद... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री जेटली *जी,* उन्हें बात पूरी करने दें। उसके बाद आप बोल सकते हैं। मैं आपको बुलाऊँगी।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी नोटबंदी के विरुद्ध नहीं है। लेकिन हर दिन इस देश के नागरिक इस निर्णय के कारण होने वाली परेशानी का सामना कर रहे हैं, यही कारण है कि हमलोग चर्चा करना चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : अध्यक्ष महोदया, महताब जी ने जनता की परेशानी के विषय में बताया है, सभी चर्चा चाहते हैं ... *(व्यवधान)* तो इसमें डिवीजन का सवाल ही नहीं है। ... *(व्यवधान)* सभी चाहते हैं कि परेशानी दूर हो, आप तुरंत महताब जी के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कराएं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.26 बजे</u>

(इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री सुनील कुमार मंडल और श्री पी.के. बीजू और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप इसे अभी शुरू कर सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इससे पता चलता है कि आप इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब शून्यकाल। श्री श्रीनिवास केसिनेनी ।

… (*व्यवधान*)

श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं जो आंध्र प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उस विशेष सहायता पैकेज के लिए कानूनी वैधता प्रदान करने की जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने 7 सितंबर, 2016 को घोषणा की थी। … (*व्यवधान*) उस समय विपक्षी नेताओं की मांग पर तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा राज्य सभा के पटल पर विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया गया था और इसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में भी रखा गया था। (*व्यवधान*) लेकिन योजना आयोग के खत्म होने और उसकी जगह *नीति आयोग* आने के बाद अब सरकार कह रही है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। … (*व्यवधान*) बहुत विचार-विमर्श और बड़ी कवायद के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की थी। … (*व्यवधान*) लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को 2 ½ महीने हो चुके हैं। … (*व्यवधान*) तब से कोई और जानकारी सामने नहीं आई है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष सहायता पैकेज की कानूनी स्थिति क्या है। … (*व्यवधान*) केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि उनकी प्रतिबद्धता पैकेज की पूरी अवधि के दौरान कानूनी रूप से वैध रहेगी। … (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं डिब्रूगढ़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं अपनी मातृभाषा असमिया में बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

§बोगापानी असम के तिनिसुकिया जिले में एक महत्वपूर्ण चाय बागान है। बोगापानी में एक रेलवे स्टेशन है। लेकिन बोगापानी से आने-जाने वाले रेलवे यात्रियों के लिए यह बड़ी निराशा की बात है कि रेल मंत्रालय के कारण यह स्टेशन पिछले कई वर्षों से बंद है। इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के अचानक बंद होने से इलाके के रेल यात्रियों को गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, विभिन्न असामाजिक तत्व परित्यक्त रेलवे संपत्तियों का उपयोग अपनी गतिविधियों के लिए भी कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

अतः मैं रेल मंत्रालय से बोगापानी रेलवे स्टेशन को रेल यात्रियों के व्यापक हित में फिर से खोलने का आग्रह करता हूं। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रामेश्वर तेली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र उदयपुर से अहमदाबाद तक आमान परिवर्तन कार्य की ओर आकृष्ट करता हूँ। इसे शीघ्रता से पूरा कराया जाए। ... (व्यवधान) वर्ष 2016-17 में इसके लिए लगभग सात सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, फिर भी अभी तक उसका काम धीमी गति से ही हो रहा है। ... *(व्यवधान)* उदयपुर झीलों की नगरी है। उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी में भी लिया गया है। दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जाने के लिए अगर उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर ब्रॉडगेज लाइन शीघ्रता से कम्पलीट हो जाती है तो इससे यातायात में सुविधा हो जाएगी। ... *(व्यवधान)*

---

§ मूलतः असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अहमदाबाद वाया डुंगरपुर, हिम्मत नगर रेल आमान परिवर्तन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मैं सदन के माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी का ध्यान अमेरिकी एजेंसी नासा की चौंकाने वाली रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहती हूं। ... *(व्यवधान)* नासा ने 8 दिसंबर 2009 से लेकर दिसंबर, 2015 तक भूजल स्तर की स्टडी की है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने नासा की सैटेलाइट ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेक्स से इमेज ली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि झुंझुनू, चुरु और सीकर राजस्थान के तीन जिलों का जल स्तर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे तेज गति से घट रहा है। ... *(व्यवधान)* रिपोर्ट में कहा गया है भूमिगत जल के दोहन की अगर यही स्थिति रही तो उत्तर भारत के इन तीन जिलों के अलावा हरियाणा और दिल्ली में करीब दस करोड़ आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। पूर्व में सीरिया गिरते जल स्तर के मामले में विश्व में एक नंबर पर था और अब उत्तर भारत के ये क्षेत्र पहले नंबर पर घोषित हो गए हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि नासा की रिपोर्ट पर ध्यान दें और झुंझुनू, चुरु और सीकर क्षेत्रवासियों की मदद यमुना बेसिन के माध्यम से 1994 के समझौते के तहत पीने का पानी उपलब्ध कराकर करें।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री सी.पी. जोशी, श्री आलोक संजर, श्री हरीश मीणा, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभा और सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि विमानपत्तन पर लगभग 400 ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां नियुक्त हैं, जो लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार देती हैं; और नई नीति का अनुच्छेद 19 विमानपत्तन संचालकों को चयन करने का अधिकार देता है, और केवल उनके द्वारा ही नियुक्तियाँ की जा सकती हैं... *(व्यवधान)* उन नियुक्तियों के माध्यम से, यदि कंपनियों की संख्या सीमित कर दी जाती है, तो इससे ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को संभालने वाले लोगों में बहुत अधिक बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। … *(व्यवधान)* यदि यह नीति विमान कंपनियों को ऐसा करने के लिए अधिकृत करती है, तो ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से निपटने के लिए विमान कंपनियों पर यह एक बेकार का बोझ होगा। बेहतर विकल्प यह है कि एयरलाइंस को अपनी खुद की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी चुनने की अनुमति दी जाए और बदले में, उन लोगों से हैंडलिंग का काम करवाया जाए। उस दृष्टि से अनुच्छेद 19 पर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुधीर गुप्ता, श्री देवजी एम. पटेल, श्री रोड़मल नागर, श्री आलोक संजर, डॉ0 किरीट पी. सोलंकी, श्री सी.पी. जोशी और श्री अर्जुन लाल मीणा को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 12.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.33 बजे</u>

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 12.45 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

… *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: सुदीपजी, यह क्या है?

… *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदया, अन्नंतकुमार जी ने बताया है कि राज्य सभा में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, राज्य सभा में जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के ऊपर ही आलोचना शुरू हो गयी। … *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता।

… (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : राज्य सभा में दी गई सूचना के आधार पर चर्चा हुई थी।… *(व्यवधान)* तो, स्वाभाविक रूप से, यह हमारे लिए निहित नहीं है। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं उसकी चर्चा नहीं शुरू कर रही हूं।

… *<u>(व्यवधान)</u>*

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको एक अवसर दिया है कि मैं अब भी शून्य काल में चर्चा कराने के लिए तैयार हूं।

... *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : हम आम जनता के हित के लिए चर्चा चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: हाँ, मैं यह जानती हूं। लेकिन अब आप, अन्य माननीय सदस्यों को परेशान न करें। शून्य काल सब मैम्बर्स के लिए है और सबको अपनी-अपनी समस्या कहनी है और इसीलिए मैं उन्हें अनुमति दे रही हूं।

... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

(इस समय, श्री गौरव गोगोई, प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में जो भी बोलना चाहते हैं, वे सब आपके कुलीग्स हैं। मैंने कहा है कि मैं आपको अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अगर आप चाहें, तो हम अभी डिसकशन स्टार्ट कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्यकाल' - डॉ. सुनील गायकवाड़।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)* मेरे लोक सभा क्षेत्र लातूर, महाराष्ट्र से टेम्भूरनी तक स्टेट हाईवे है, जो बहुत ही खराब हालत में है। ... *(व्यवधान)* मैं उसे नैशनल हाईवे में कन्वर्ट करने की मांग करता हूं। ... *(व्यवधान)* टेम्भूरनी लातूर को नैशनल हाईवे में घोषित करके तुरंत काम शुरू किया जाये। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी से विनती करना चाहता हूं कि मेरे लातूर क्षेत्र के सभी नैशनल हाईवेज का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाये। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र को डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री राहुल शेवाले - उपस्थित नहीं।

श्री गजानन कीर्तिकर ।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे निजी क्षेत्र के बैंकों के पेंशनभोगियों का मामला उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैंने ऑल-इंडिया बैंक रिटायरिंग महासंघ, इन्दौर को पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन बढ़ाने, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के बीच डी.ए. में भेदभाव को दूर करने और उनकी शिकायतों का मानवीय आधार पर तुरंत निवारण के लिए नियमित आधार पर चर्चा और बैठक आयोजित करने जैसी मांगों के साथ एक ज्ञापन भेजा था।

मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इन पेंशनभोगियों की मांगें वास्तविक हैं और इन पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि बैंक में पेंशन संबंधित बैंक के बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन 1995 के प्रावधान के अनुसार देय है, इसलिए, मैं वित्त माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे सेवानिवृत्त लोगों के विषय पर ध्यान दें और इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। बैंक से अधिदेश के साथ पेंशन योजना में जल्द से जल्द बदलाव किया जाए ताकि पेंशनभोगियों को लाभ मिल सके।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री हरिश्चंद्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुभाष पटेल और श्री सुधीर गुप्ता को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय प्राचीन संचार और डाक सेवा के संबंध में रखना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)* भारत सरकार ने पहले भी चाहे डाकघरों में एटीएम लगाना हो या कोर बैंकिंग की सेवा शुरू करनी हो, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय संचार और डाक सेवा के संबंध में किये हैं। ... *(व्यवधान)* लेकिन आजादी के पहले से जो ग्रामीण डाक सेवक है, जो अंतिम कड़ी में जाकर काम करता है, उस डाक सेवक को अभी भी छः हजार रुपये मिलते हैं। ... *(व्यवधान)*

पहले जो तलवार कमेटी बनी, उसकी सिफारिशें पूरी तरह मानी नहीं गयीं। अब माननीय न्यायालय ने भी इसे सिविल सर्वेंट माना है। ... *(व्यवधान)* इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इन डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि वर्षों चली आ रही उनकी मांग की पूर्ति हो सके। धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आश्विनी कुमार चौबे, श्री हरीश मीना, श्री बलभद्र माझी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान किसानों की जीवनदायी महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह योजना कृषकों के लिए वरदान बनकर आई है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया इस तरह परेशान न करें। यह उचित नहीं है ।

... *(व्यवधान)*

श्री रामदास सी. तडस : अध्यक्ष महोदया, इसको सफलता के धरातल पर लाने हेतु अत्यधिक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।... *(व्यवधान)* अभी जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से इसका प्रसार किया जा रहा है, किन्तु इस योजना के प्रचार के लिए ग्रामीण स्तर पर कैम्प, प्रभातफेरी आदि का आयोजन करने की आवश्यकता है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सौमित्र खान, ऐसा मत कीजिए। वे भी आपके कॅलीग हैं, वे भी अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। कृपया ऐसा न करें।

... *(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री रामदास सी. तडस : अध्यक्ष महोदया, विज्ञापन एवं प्रादेशिक भाषा के माध्यम से प्रचार करने से किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी मिल पाएगी, जिससे किसान इस योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएंगे।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इस तरह आवाज करना अच्छी बात नहीं है।

... *(व्यवधान)*

श्री रामदास सी. तडस : फलस्वरूप किसानों की आत्महत्या को रोक पाने में सरकार को सफलता मिल पाएगी। ... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी को श्री रामदास सी. तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब - उपस्थित नहीं।

श्री पी.के. बीजू - उपस्थित नहीं।

श्री राजीव सातव- उपस्थित नहीं।

[हिंदी]

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 19 कस्तूरबा गांधी विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। ... *(व्यवधान)* इन विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति एवं बेड-किट की बहुत बड़ी समस्या है, जिनसे छात्राओं की शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ता है।... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि स्वीकृत विद्यालयों में 41,000 रुपये का एस्टीमेट विद्युत कनेक्शन हेतु बिल्डिंग निर्माण के साथ स्वीकृत किया गया था। ... *(व्यवधान)* कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें विद्युत कनेक्शन के लिए 2,40,000 रुपये लागत का एस्टीमेट आ रहा है। इस कारण विद्यालयों में स्थानीय प्रशासन द्वारा विद्युत कनेक्शन करा पाना संभव नहीं है। ... *(व्यवधान)* साथ ही, विद्यालयों में खाद्यान्न सामग्री बहुत घटिया किस्म की दी जाती है। ... *(व्यवधान)* यह समस्या प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद के विद्यालयों की है।... (व्यवधान) मैं यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बच्चों के लिए 750 रुपये प्रति बच्चा बेड किट के लिए मिलते हैं, जो बहुत कम है। इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं।... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रदेश के स्थापित विद्यालयों के खाद्यान्न एवं बेड किट की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुए री-एस्टीमेट की मांग करते हुए, उसके आधार पर धन उपलब्ध कराकर, जनहित की इस समस्या का निस्तारण कराएं।... *(व्यवधान)* धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुभाष पटेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी एवं श्री शरद त्रिपाठी को डॉ. अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस आति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। ... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं पश्चिमी चम्पारण से बिलाँग करता हूं, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर है, जो गांधी जी की कर्मभूमि रही है।... *(व्यवधान)* मेरे संसदीय क्षेत्र में दो ब्लॉक ऐसे हैं, जिनकी कुछ पंचायतों की भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते, वहां विद्युतीकरण नहीं हो सकता है, जैसे रामनगर विधान सभा के, रामनगर ब्लॉक के बनकटवा-करमहिया और नौरंगिया गांव, वाल्मीकि नगर विधान सभा के ठकराहां ब्लॉक के मोतीपुर, ठकराहां, कोइरीपट्टी, धुमनगर, हरपुर-श्रीनगर, भवानीपुर-जगराहां आदि ऐसे गांव हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हो सकता है।... *(व्यवधान)* ये गांव नदी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं।... *(व्यवधान)* वहां सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर विद्युतीकरण किया जाए, अन्यथा सौर ऊर्जा देने से भी काम चलने वाला नहीं है। ... *(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस काम को पूरा कराया जाए। यह आति महत्वपूर्ण कार्य है।... *(व्यवधान)* धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना - उपस्थित नहीं।

श्री राजन विचारे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला नवी मुंबई एक ऐसा शहर है, जो कई शहरों और जिलों को जोड़ता है। ... *(व्यवधान)* इसके कारण वहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। ... *(व्यवधान)* साथ ही साथ यहां पर ठाणे, कल्याण, अम्बरनाथ और बदलापुर सहित आस-पास के अन्य शहरों का विकास भी तेजी से हो रहा है।... *(व्यवधान)* नवी मुंबई के विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन तीस से पैंतीस हजार लोग नौकरी एवं व्यवसाय के लिए आना-जाना करते हैं। ऐसी सड़कें वाहनों के लिए छोटी पड़ रही हैं। ... *(व्यवधान)* साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है। ...

(व्यवधान) इस हवाई अड्डे के तैयार होने के बाद यहां पर वाहनों की संख्या में और भी वृद्धि हो जाएगी।... *(व्यवधान)* इसलिए शहर के बढ़ते यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए अभी से ही कोस्टल रोड का निर्माण करना आवश्यक है।

नवी मुंबई महानगर पालिका ने बेलापुर से वाशी का करीब 10.5 किलोमीटर लम्बाई का एवं वाशी से ठाणे 16.5 किलोमीटर लम्बाई वाला 8 लेन का खाड़ी के किनारे दो चरणों में मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है,... *(व्यवधान*) जिसे मई 2014 को कोस्टल जोन मेनैजमेंट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है एवं इसके लिए करीब 5038 करोड़ रु. की निधि आवश्यक है।... *(व्यवधान)* इतनी बड़ी रकम नवी मुंबई महानगर पालिका खर्च नहीं कर सकती। इसलिए इस संदर्भ में एम.एम.आर.डी.ए. परियोजना के लिए पूरी निधि देने में असमर्थ है।... *(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार एम.एम.आर.डी.ए. एवं सड़कों के सहयोग से इस जरूरी परियोजना को पूरा करने में मदद करे। धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुभाष पटेल और श्री अरविंद सावंत को श्री राजन विचारे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी - अनुपस्थित।

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रकृति द्वारा उपलब्ध जल को लेकर कई राज्यों में बंटवारे को लेकर यह विवाद का विषय बना हुआ है।... *(व्यवधान)* ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अन्य राज्यों के सामने हाथ फैलाकर, पानी मांगने के स्थान पर, अपने राज्यों में उपलब्ध जल के सही नियोजन को उपयोग करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना बनाकर राजस्थान राज्य को जल के संदर्भ में एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प लिया है।... *(व्यवधान)* इस

संकल्प की हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ... *(व्यवधान)* इस योजना के प्रथम फेज में तीन हजार गांवों का चयन किया गया है*/... (व्यवधान)* एवं वहां पर योजनाबद्ध तरीके से पानी का सही नियोजन करके, जहां राजस्थान में पूर्व में सिर्फ 25 ब्लॉक सेफ जोन में थे, बाकी पूरा राज्य डार्क जोन में आता था, अब मुख्य मंत्री जी की इस जल स्वावलम्बी योजना के क्रियान्वयन के कारण जो 50 ब्लॉक हैं, वे सेफ जोन में आ गये हैं।... *(व्यवधान)* बढ़े हुए पानी का लाभ करीब 41 लाख लोगों को व 45 लाख पशु धन को मिला है। ... *(व्यवधान)*

इस योजना का द्वितीय चरण, जो 9 दिसम्बर को प्रारम्भ हो रहा है, आगामी तीन वर्षों में 6-6 हजार गांवों का चयन कर, वॉटर एंड सॉयल कंजर्वेशन का लक्ष्य रखा गया है।... *(व्यवधान)* चार वर्षों में राज्य के 21000 गांवों तक इस योजना को पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। राज्य की सीमित आर्थिक उपलब्धता के होते हुए भी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जनता से आह्वान करके, धन एकत्रित कर, जल के संबंध में राज्य को स्वावलम्बी बनाने का प्रथम चरण सफलता पूर्वक पूर्ण किया है।... *(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने का निर्णय करें। धन्यवाद। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम.पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री सुभाष पटेल को श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.58 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले —सभा पटल पर रखे गए**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। प्रथा के अनुसार सदस्य व्यक्तिगत रूप से विषय का पाठ सौंप सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

** सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को ग्रुप 'घ' कर्मचारियों के रूप में नियमित करने के साथ-साथ ग्रुप घ कर्मचारियों को देय पर्याप्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : वर्ष 1975 में भारत सरकार ने समेकित बाल विकास निधि (आई.सी.डी.एस.) योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषणीय एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने के मामलों की संख्या में कमी लाना आदि प्रमुख हैं। इस योजना के अंतर्गत समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रैफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख काम करने वाले लोगों में एक हैं-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के कार्यों की सूची बहुत लम्बी है। इनके प्रमुख कार्य हैं- सभी 6 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, सभी गर्भवती माताओं के लिए टीकाकरण, बच्चों के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिलाओं का चेक-अप करवाना, गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व एवं बाद की देखभाल करना, नवजात शिशुओं की देखभाल, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व गतिविधियों को व्यवस्थित करने के साथ आंगनबाड़ी का संचालन करना। 1000 लोगों की आबादी पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है। वर्तमान में तेरह लाख से आधिक आंगनबाड़ी केन्द्र देश में चल रहे हैं और इन केन्द्रों पर लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश की कुपोषण, भुखमरी, उच्च शिशु मृत्यु दर, स्वच्छता की कमी, बीमारियां, शिक्षा का अभाव आदि समस्याओं के निदान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आई.सी.डी.एस. दुनिया की सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है।

आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा बहुत ही कम मानदेय पर काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी नहीं माना गया है और न ही सरकारी कर्मचारियों की भाँति वेतन, भत्ता एवं अन्य लाभ दिया जाता है। इन्हें पेंशन, चिकित्सा सुविधा, अनुकम्पा नियुक्तियाँ, महंगाई भत्ता आदि कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। संसद में लोकसभा की महिला सशक्तिकरण समिति ने पन्द्रहवीं लोकसभा में 8वीं रिपोर्ट, अगस्त 2011 में "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति " विषय के साथ रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कुल सोलह सिफारिशें सरकार से की गई थी, परंतु अभी तक सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं।

अतः मेरी भारत सरकार से माँग है कि आँगनबाड़ी कर्मचारियों को कम-से-कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानकर इसके अनुरूप मूल वेतन, भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंशन एवं अन्य लाभ आदि प्रदान किए जाएं। साथ ही सरकार संसदीय समिति 8वीं रिपोर्ट अगस्त, 2011 की शेष बची सिफारिशों को लागू करे।

(दो) मध्य प्रदेश के उज्जैन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्रेसिम उद्योग ग्रुप में 17.11.2016 को दुर्घटना हुई जिसमें फैक्ट्री के मजदूर की मृत्यु जहरीले धुँए से हुई साथ ही इससे 10 मजदूर और भी प्रभावित हुए। ग्रेसिम उद्योग ग्रुप से निकल रहे मलबे से असहनीय दुर्गंध व प्रदूषण जन-जीवन के लिए हानिकारक होता जा रहा है। उक्त मलबा रासायनिक है। इसका सही तरीके से निपटारा न होने से यह स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण के लिए भी खतरा है। कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारी अनेक प्रकार के त्वचा संबंधी रोग, हृदय संबंधी बीमारियों व कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हैं। प्रत्येक माह इस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में से एक की मृत्यु इन रोगों से होती है। इतना ही नहीं इस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान न रखने के कारण आये दिन श्रमिकों की दुर्घटनाओं में मृत्यु होती रहती है। इससे उत्पन्न प्रदूषण से उज्जैन जिले में क्षिप्रा तथा चंबल नदी प्रदूषित है। चंबल नदी पर ही आश्रित यह इकाई इसी नदी में अपना प्रदूषित जल बहा रही है। प्रदूषण के चलते चंबल नदी न केवल उज्जैन बल्कि मुरैना व भिंड जिलों को भी प्रदूषित कर रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रसायन, पर्यावरण एवं श्रम मंत्रालयों की एक संयुक्त जाँच समिति गठित कर इसकी उचित जाँच करवायी जाये तथा दोषियों को उचित दंड दिया जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने एवं किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ने के बकाया राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु राजी किए जाने की आवश्यकता

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। न तो गन्ने का मूल्य संतोषजनक रूप से बढ़ाया गया और न पिछले बकाए का ब्याज सहित भुगतान हो रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से यह मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के हो रहे इस शोषण को केन्द्र सरकार गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करे कि प्रदेश सरकार गन्ने की कीमत पर पुनः विचार करे एवं चीनी मिलों द्वारा किसानों को पिछले बकाए को ब्याज सहित भुगतान दिलाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाएँ।

(चार) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रीधपुर में रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मैं रेलमंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा की समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि नरखेड-अमरावती रेलवे लाईन पर पड़ने वाले रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन की मांग काफी समय से की जा रही है। श्री क्षेत्र रिद्धपुर को महानुभाव पंथ की काशी कहा जाता है। रिद्धपुर में स्थित महानुभाव पंथ के तकरीबन 800 मंदिर हैं और यहां पर देश-विदेश से हज़ारों दर्शनार्थी आते हैं। श्री रिद्धपुर क्षेत्र को तीर्थ स्थल का " ब " दर्जा प्राप्त है, और श्री क्षेत्र रिद्धपुर को पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है। रिद्धपुर महत्वपूर्ण स्थान अमरावती-नरखेड मार्ग पर आते हुए भी यहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन होने से 15 से 20 गांवों को इससे फायदा होगा।

अतः जनहित हेतु जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए श्री क्षेत्र रिद्धपुर में रेलवे स्टेशन बनवाने हेतु उचित कदम उठाकर शीघ्र संबंधित आधिकारी वर्ग को निदेरशित करने का कष्ट करें जिससे कि समस्या का समाधान हो सके।

(पांच) भारी अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड, राँची, झारखंड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : मेरे लोकसभा क्षेत्र राँची के धुर्वा स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपारेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.एल.) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों का भुगतान कई वर्षों से लंबित है। सरकार को सूचित करना चाहता हूँ कि एच.ई.सी.एल. के 1 जनवरी, 1997 से सितम्बर 2008 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उनको अभी तक ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है। एच.ई.सी.एल. भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है। एक समय यह एशिया का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था परन्तु क्रयशक्ति न रहने से यह सार्वजनिक उपक्रम अपनी क्षमता के अनुपात में उत्पादन नहीं कर पा रहा है। बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना ईलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी हैं, जिनका धन के अभाव में समुचित इलाज नहीं होने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। एच.ई.सी.एल. के प्रबंधन और एच.ई.सी.एल. सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के बीच जो ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों के भुगतान के संबंध में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अब तक एच.ई.सी.एल. के जितने सी.एम.डी. आए सभी ने ग्रेच्युटी, पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्ता राशि को देने की बात कही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि एच.ई.सी.एल. कम्पनी, धुर्वा, राँची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपरोक्त वर्णित ग्रेच्युटी, वेतन पुनरीक्षण एरियर एवं अन्य भत्तों के भुगतान आदि बकाया राशि यथाशीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे। बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाएगा तो लोगों को आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

(छह) जादूगोड़ा, झारखण्ड में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड की खानों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखण्ड) का जादूगोड़ा, आदिवासी बाहुल्य गरीब एवं उग्रवाद प्रभावित अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.) की जादूगोड़ा खान वर्ष 1967 से चालू की गई थी, जो कि विगत 7 सितम्बर, 2014 से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वनीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण वहाँ का आम जन-जीवन काफी प्रभावित है। वहाँ के लोगों के समक्ष बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मैंने माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मिलकर उन्हें समस्या से अवगत कराया है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उपर्युक्त विषयक को देखते हुए आविलम्ब बंद पड़े यू.सी.आई.एल. के जादूगोड़ा खान को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वनीय स्वीकृति दिलाने की कृपा की जाये।

(सात) निर्वाचन के दौरान दूसरे राज्य में जाकर बसने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार लगभग 3 करोड़ व्यक्ति रोज़गार की तलाश में अपना घर छोड़कर देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। चुनाव के समय ये लोग सामान्यतः अपने घरों से दूर रहते हैं तथा किसी समुचित व्यवस्था के अभाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि लगभग 3 करोड़ की इस बड़ी प्रवासी जनसंख्या के लिए डाक मत पत्रों की अथवा अन्य कोई ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि चुनावों में ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

(आठ) रेल यात्रा हेतु छात्रों के लिए निःशुल्क मासिक सीजन टिकट पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि रेलवे विभाग द्वारा ग्रामीण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए "0 " बैलेंस पर निशुल्क मासिक पास (एम.एस.टी.) बनाया जाता था। लेकिन 2015-16 में रेलवे द्वारा यह व्यवस्था पूर्णतया बन्द कर दी गई है। जिससे ग्रामीण छात्र/छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण आधिक संख्या में गरीब एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. छात्र शहरों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूँ कि रेलवे विभाग द्वारा शिक्षार्थियों को जो पास (एम.एस.टी.) "0" बैलेंस पर पास बनाया जाता था, उसको दोबारा शुरू किया जाये ताकि ग्रामीण बालक/बालिकाएं शहरों में उच्चतर महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ सकें।

(नौ) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैद्य देवली रेलवे स्टेशन का विकास और प्रचालन किए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया (अमरेली) : गुजरात के अमरेली जिले और राजकोट जिले के मध्य में जेतलसर-ढासा रेल लाइन के ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई 80 कि.मी. है, की निविदा निकलने के पश्चात् कार्य शुरू किया जा चुका है। पूर्व में यह लाइन मीटर गेज में थी जिसे ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।

वडिया देवली जो एक तहसील है, इस स्थान पर पहले रेलवे स्टेशन था जिसका संचालन रेलवे विभाग ने किसी कारण से बंद कर रखा है। इस निविदा में वडिया देवली तहसील वाले स्टेशन को शामिल नहीं किया गया है। इस 80 कि.मी. की लाइन में 8 स्टॉपेज है, जिसमें 2 तहसील आती हैं। अतः इस वडिया देवली (तहसील) स्टेशन के पुनर्निर्माण को इस निविदा में शामिल किया जाए। इस बात के लिए मैंने संबंधित ठेकेदार से सम्पर्क किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस स्टेशन को निविदा में शामिल नहीं किया गया है। इस स्टेशन को निविदा में शामिल नहीं किए जाने से मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा मेरे द्वारा किए गए अनेक प्रयास भी व्यर्थ हो जाएंगे।

अतः मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि मेरी जनता के साथ प्रतिबद्धता को देखते हुए टेंडर में वडिया देवली तहसील वाले स्टेशन को पुनः संचालित करने के पश्चात यहां रेल के आवागमन के साथ-साथ स्टॉपेज की व्यवस्था की जाए जिससे मेरे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल सके।

(दस) राजस्थान के नागौर, मेड़ता और डेगाना में मूंगदाल का न्यूनतम सांविधिक मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के नागौर जिले में और मेरे संसदीय क्षेत्र के मेड़ता एवं डेगाना विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मूंग की फसल का समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से खरीद करने का निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान की है। इस निर्णय से माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय में वृद्धि करने का संकल्प परिलक्षित होता है।

मैं मूंग की सरकारी खरीद में आने वाली कुछ परेशानियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो निम्न प्रकार हैः-

1. समर्थन मूल्य जो कि 5250 रू. है, में वृद्धि की अपेक्षा है।
2. मूंग को तुलवाने के कांटों की संख्या में वृद्धि हो ताकि किसान समय पर अपना माल तुलवाकर बिक्री कर सके।
3. मूंग के उत्पादन में प्रकृति के कारण किस्म में न्यूनता आई है उसे भी या तो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे अथवा अनुदान के माध्यम से किसान को क्षतिपूर्ति प्रदान कराने का निर्णय ले।

मेरा आग्रह है कि उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर किसानों को राहत प्रदान करने का निर्णय ले ताकि किसान अपने उत्पाद को सुविधाजनक तरीके से बिक्री कर सके एवं अपने माल का सही दाम प्राप्त कर राहत प्राप्त कर सकें।

(ग्यारह) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत योजना का त्रुटिविहीन कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों, समस्याओं और विसंगतियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

प्रधानमंत्री जी के सपनों की यह महत्वाकांक्षी योजना कई अर्थों में सचमुच क्रांतिकारी है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी ने न केवल सुदूर गांव के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वस्थ, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन दशायें मुहैया कराने का संकल्प लिया है, वही दूसरे के लिए कुछ त्यागने की शाश्वत भारतीय परम्परा को भी पुनजीरवित किया है। उनकी एक अपील पर करोड़ों उपभोक्ताओं द्वारा गैस सब्सिडी का परित्याग बेमिसाल है लेकिन छूट के इन कनैक्शनों को निर्धन परिवारों को पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने अपनी तरफ से आति निर्धन परिवारों को मानक बनाकर उनकी रसोई तक कुकिंग गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि चार से पांच हजार तक की आबादी वाले गांव, जहां बी.पी.एल. परिवारों की संख्या भी अच्छी खासी है, महस दस-बीस परिवारों को ही लाभार्थी सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। इससे कई तरह की विसंगतियों, विद्वेष और बैर-भाव पैदा हो रहे हैं। कई स्थानों पर कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। इन विसंगतियों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के गैस वितरको नें कमाई के गोरखधंधे शुरू कर दिए हैं। इनकी करतूतों से इस परियोजना के नकारात्मक प्रभाव भी जहां-तहां दिखाई पड़ रहे हैं। गैस वितरकों द्वारा सूची में सम्मिलित लाभार्थियों तक से पैसों की वसूली की जा रही है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उज्ज्वला नाम के अनुरूप इस योजना के क्रियान्वयन की ओर व्यापक एवं पारदर्शी प्रक्रिया लागू की जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

(बारह) राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, बागवानी क्षेत्र और लघु उद्योगों के विकास के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा) : मैं सरकार का ध्यान बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के बाहुल्य के बावजूद अत्यधिक गरीबी है। यहाँ आधिकतर लोगों के पास स्थायी सम्पत्ति नहीं है तथा लोग अत्यंत गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी तरह का उद्योग नहीं है तथा कृषि उत्पादों की स्थिति भी निराशाजनक है।

मेरा माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री से अनुरोध है कि क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी, बागवानी को स्थापित करने हेतु विशेष योजना का सृजन करें। माननीय उद्योग मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र में उद्योग स्थापना में सहायता करने की कृपा करें। इसके आतिरिक्त सरकार इस क्षेत्र के संसाधनों पर आधारित अन्य योजना क्रियान्वित करने की रणनीति बनाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों के जन-जीवन के स्तर को सुधारा जा सके एवं समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारा जा सके।

(तेरह) कर्नाटक में व्यापत सूखे की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): कर्नाटक में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ रहा है और जाहिर तौर पर यह लगभग चार दशकों में सबसे खराब स्थिति है। किसान ख़रीफ़ और रबी दोनों सीज़न में बुआई से चूक गए। 176 तालुकों में से 139 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिससे हजारों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। केवल तटीय जिलों में ही पानी की समस्या नहीं है। राज्य में सामान्य से 31 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। राज्य में सूखे के कारण कुल अनुमानित नुकसान 17,193 करोड़ रुपए है और कर्नाटक सरकार ने 2016 की खरीफ के दौरान कर्नाटक में सूखा शमन उपायों के लिए 4,702.54 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसलिए, मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और जल्द से जल्द धन मुहैय्या करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(चौदह) केरल के अलप्पुझा जिले के अर्थुंगल और थोटापल्ली में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): अलप्पुझा जिले में मत्स्यन के दो प्रमुख बंदरगाहों, अरथुंगल और थोटापल्ली की निर्माण गतिविधियों को तुरंत समाप्त किया जाना है। आर्थुंगल मत्स्यन बंदरगाह की निर्माण गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही 49.39 करोड़ रुपए संस्वीकृत कर दिए हैं, परंतु अनुमान लगाया गया है कि तटीय क्षेत्र होने के कारण 61.57 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत की जानी है। थोटापल्ली मत्स्यन बंदरगाह का उद्घाटन 2011 में किया गया था पर गाद के कारण यहां पर कामकाज नहीं किया जा रहा है। साइट पर रख-रखाव गतिविधियों के लिए 77.72 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है।

(पंद्रह) करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के कारण तमिलनाडु के किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में

श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची): नोटबंदी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों और समितियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं ने तमिलनाडु में कृषि कार्यों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, ज्यादातर किसान और कृषि श्रमिक, अपनी समयबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए 4474 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पी.ए.सी.सी.) से जुड़े हैं।

इसलिए, तमिलनाडु सरकार ने नोटबंदी के कारण किसानों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सहकारी संस्थानों के द्वारा किसानों के लिए एक विशेष पैकेज शुरू किया है। विशेष पैकेज की सफलता केवल सहकारी संस्थाओं के पास पर्याप्त करेंसी नोटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

हमारी पार्टी के संसद सदस्यों ने वित्त मंत्री से कृषि का चरम मौसम यानी नवंबर-दिसंबर के दौरान तमिलनाडु में फसल ऋण के लिए करेंसी नोटों में तत्काल 3000 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है है। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बराबर मुद्रा नोटों के नियमित प्रवाह के अतिरिक्त होना चाहिए। पी.ए.सी.सी. को ऋण का पुनर्भुगतान नकद (पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों सहित) स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को तत्काल प्रभाव से कृषि कार्यों में सहायता के लिए प्रति सप्ताह 24,000 रुपये की सीमा के बिना पी.ए.सी.सी. को धन संवितरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तमिलनाडु में किसानों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करे और इस बारे में ज़रूरी कदम उठाए।

(सोलह) तमिलनाडु के थेनी जिले में फूड पार्क और एग्री एक्सपोर्ट जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. पार्थिपन (थेनी): तमिलनाडु का थेनी जिला आम, अंगूर, केले और मसालों की उपज के लिए प्रसिद्ध है। थेनी और उसिलामपट्टी क्षेत्र में जैविक खेती की भी काफी संभावनाएं हैं। हालांकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन समूह दृष्टिकोण अपनाकर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने की एक कार्य योजना बनाई गई है, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कोई सक्रिय समर्थन नहीं मिला है। मैं सरकार से आम, अंगूर आदि जैसे फलों के उत्पादन और कोल्ड-स्टोरेज सुविधाओं के लिए कृषि-निर्यात मंडल (ए.ई.जेड.) की स्थापना में सहायता/समर्थन देने का आग्रह करता हूं।

सरकार को उसिलामपट्टी में एक बागवानी संस्थान भी स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के हिस्से के रूप में थेनी जिले में विभिन्न फलों और सब्जियों के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाएं भी स्थापित की जानी चाहिए।

संगठित खेती और उपज का विपणन करने के लिए किसानों ने पहले से ही खुद को अंगूर उत्पादक संघ, आम उत्पादक संघ आदि में संगठित कर लिया है। मिर्च, धनिया और इमली आदि के प्रसंस्करण की भी अपार संभावनाएं हैं।

अतः, मैं भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि फलों और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, फूड पार्क और कृषि-निर्यात क्षेत्र जैसे लिंकेज स्थापित किए जाएं।

(सत्रह) गरीबों को उचित मूल्य पर औषधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): मेडिकल दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा लगता है कि गरीब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ज़रूरी दवाओं की मूल्यों को कम करने और उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किफायती बनाने के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की जरूरत है और देश भर में छोटे और मध्यम स्वास्थ्य केंद्रों को दवाओं के पर्याप्त भंडारण के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा किये जाने वाले अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों में से यह सबसे आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री से गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के पहलू पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहूंगा कि सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(अठारह) ओडिशा के कटक में गडखई दाय परियोजना का समय पर कार्यान्वयन, नवीकरण और अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): कटक नगर निगम (सी.एम.सी.) ने कटक शहर के छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अधीन गडखई विरासत परियोजना के नवीनीकरण और संरक्षण से संबंधित कार्य के शीघ्र निष्पादन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से बार-बार आग्रह किया है। हालांकि, ए.एस.आई. ने कटक नगर निगम (सी.एम.सी.) के आग्रह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक ए.एस.आई. खाई की दीवार के नवीनीकरण और संरक्षण का काम पूरा नहीं कर लेता, तब तक सी.एम.सी. सौंदर्यीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और रोशनी का काम नहीं कर सकती। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ए.एस.आई. पर उक्त परियोजना के समय पर निष्पादन के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए दबाव डाले।

(उन्नीस) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : देश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ उनके वृद्धावस्था जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को लागू किया गया है। वर्तमान समय में यह पेंशन स्कीम राज्यों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इस योजना के विरोध में विगत वर्ष में जंतर-मंतर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सहकारी संगठन इत्यादि के सेवानिवृत्त कर्मचारी विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के विरोध में जन आंदोलन कर रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद मात्र 300 से 500 रूपए का पेंशन मिलता है जो आज की महंगाई में बहुत ही कम है जो देश में वृद्धावस्था के अंतर्गत दी जा रही धनराशि से भी बहुत कम है। देश के केन्द्रीय कर्मचारियों को हर वेतन आयोग में बढ़ोतरी से उनकी पेंशन में बढ़ावा मिलता है। आज उनको 15 हजार से 50 हजार तक पेंशन मिल रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 को 21 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, लेकिन आज के माहौल में कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 का रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि 20 साल की सेवा के बाद केवल 500 रूपए मिल रहा है। वर्तमान माहौल में इसमें रिटायर्ड राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव किया जाना आवश्यक है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सहकारी संगठन इत्यादि के सेवानिवृत्त कर्मचारी को कम से कम 5000 रूपए की पेंशन प्रतिमाह की जाये एवं कर्मचारी पेंशन योजना-1995 में इस हेतु समुचित संशोधन किया जाये।

(बीस) आन्ध्र प्रदेश के मंगलागिरी में क्लस्टर-सह-हथकरघा पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): मंगलागिरी हथकरघा उत्पादों विशेषकर सूती साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और इन उत्कृष्ट साड़ियों की विश्व स्तर पर भारी मांग है। लगभग 4,000 बुनकर स्व-स्वामित्व वाले 1,000 करघों और 2,800 किराए के करघों पर बुनाई पर निर्भर हैं। इन 4,000 बुनकरों में से लगभग 2,000 बुनकर सहकारी समिति के अंतर्गत नामांकित हैं और अन्य अब भी सहकारी समिति से बाहर हैं। दूसरे, मंगलागिरी के लगभग 40% लोग हथकरघा बुनाई और संबद्ध उद्योग यानी यार्ड डीलर, व्यापारी, रैपर, रंगरेज आदि पर निर्भर हैं। इस प्रकार, लगभग 4,000 करघे और 10,000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका चलाने के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं।

जहां तक कच्चे माल का सवाल है, कोई समस्या नहीं है क्योंकि गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में एक बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है और इसके आसपास लगभग 80 कताई मिलें हैं।

दुर्भाग्य से, ये कुशल बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, विशेषज्ञों से उचित मार्गदर्शन और विपणन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मानसून के दौरान उनकी समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि गड्ढों में पानी घुस जाता है और करघे बंद हो जाते हैं जिससे उनका काम प्रभावित होता है।

मंगलागिरि एन.एच. 5, विजयवाड़ा और गुंटूर के करीब है। यदि हथकरघा पार्क स्थापित किया जाता है, तो यह बुनाई और परिधान उद्योगों को आकर्षित करेगा, जो बदले में सीमा शुल्क, कंटेनर, बैंकिंग और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं एक छत के नीचे लाने में सहायक होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रसंस्करण और अन्य इकाइयों के साथ मंगलागिरी में क्लस्टर-सह-हैंडलूर्न पार्क की स्थापना पर विचार करें, जो न केवल विश्व प्रसिद्ध मंगलागिरी सूती साड़ियों को बढ़ावा देगा, बल्कि हजारों युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद करेगा जिससे परंपरा को जीवित रखने में भी सहयोग मिल पाएगा।

(इक्कीस) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लम्बित परियोजनाओं के बारे में

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, अराकु के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के कार्यकरण को आपके ध्यान में लाना चाहती हूं।

विशाखापत्तनम जिले की दिशा समिति के अध्यक्ष के रूप में, मैं जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर रही हूं क्योंकि यह पता चला है कि विशाखापत्तनम को 2013 से पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन कार्य आवंटित नहीं किया गया है। ठेकेदारों के ठीक से काम न करने या टेंडरों का जवाब न देने के कारण 230 करोड़ रुपये के कई काम अधूरे पड़े हैं।

इन वजहों से आगे का काम प्रभावित हो रहा है, जिससे कनेक्टिविटी की समस्या जस की तस बनी हुई है। अतः, मैं आपके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि ऐसे कार्य जो गैर-प्रदर्शन के कारण रुके हुए हैं, उन्हें तुरंत पूरक आधार पर दूसरों को दिया जाना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जिन्होंने चूक की है।

इसके अलावा, मैं मंत्रालय से लंबित परियोजनाओं को हल करने के उपाय करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अनुरोध करता हूं, ताकि नई मंजूरी दी जा सके।

(बाईस) देश में किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आज देश भर में किसानों की क्या दुर्दशा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान जो देश का अन्नदाता है, वही भूखा और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर है। किसान खुद तो भूखा सो जाता है, पर दूसरे का पेट भरने की चिन्ता उसे हमेशा सताती है। सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि हमारे किसानों की समस्याओं का समुचित हल करे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर तो हो गए हैं, लेकिन किसान दिनों-दिन गरीब होता जा रहा है। यह एक विचारणीय प्रश्न है।

देश में 68 फीसदी खेती वर्षा पर निर्भर है और वर्षा कम व ज्यादा होने पर इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। बिचौलिए और साहूकारों के कर्ज के बोझ से किसान हमेशा दबा रहता है। देश के किसी बड़े भाग में बाढ़ आ जाती है, तो काफी बड़ा भू-भाग सूखे की चपेट मे रहता है। प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। समय से खाद और बीज नहीं मिलता है। उत्तम किस्म के बीजों का अभाव व उसका इतना आधिक मूल्य होता है कि किसान उसे खरीद नहीं पाते हैं। कीटनाशक दवाईयाँ भी अत्यधिक महंगी हो चुकी हैं। फसल बीमा योजना किसानों को किसी भी तरह से मदद करने में अपनी भूमिका साबित करने में असफल हो चुकी है। किसानों के फल और सब्जियों का रख-रखाव और समुचित मूल्य नहीं मिलता है। फसल पैदा होने पर खरीदार नहीं होते, जिससे बिचौलिए को मजबूरन कम दामों पर बेचना पड़ता है। जब किसानों के उत्पाद उनके हाथों से निकल जाता है, तो बाजार में रेट दोगुना हो जाता है। यह कैसा विडम्बना है।

मैं समझता हूं कि किसानों के बारे में किसी न किसी विषय पर प्रत्येक सत्र में चर्चा जरूर होती है। माननीय सदस्यगण, किसानों की समस्या के बारे में सरकार के सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं, किन्तु सरकार उस पर यथोचित रूप से अमल नहीं करती है। जिसका परिणाम है कि आज देशभर के किसान आत्म हत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में तकरीबन 21 हजार किसानों

ने आत्म हत्या की है और वर्ष 2015 में यह आकड़ा बढ़ने वाला ही होगा। यह कितनी शर्मनाक बात है कि हम देश के अन्नदाता को खुशहाल जीवन देने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पाए हैं।

(तेईस) जानलेवा बीमारी सेप्सिश की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम दास राई (सिक्किम): मैं सरकार का ध्यान सेप्सिस के कारण मौतों में बढ़त के कारण एक नए खतरे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सेप्सिस एक जीवन-घातक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब संक्रमण से लड़ने के लिए रसायनों को रक्त में छोड़ दिया जाता है जिससे व्यापक सूजन हो जाती है जिससे अंततः अंग क्षति और मृत्यु हो जाती है।

वर्ष 2012 में एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन में अस्पतालों के आई.सी.यू. में सेप्सिस की व्यापकता पाई गई: आई.सी.यू. में भर्ती चार में से एक मरीज़ अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में इस बीमारी की चपेट में आ गया। सेप्सिस से पीड़ित लगभग दो में से एक मरीज की मृत्यु हो गई। सेप्सिस से मरने वाले 859 (4209 सर्वेक्षण) अथवा 27.6% रोगियों का ऑपरेशन नहीं किया गया था और वे गैर-सर्जिकल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे।

अमेरिका में, प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और एड्स से होने वाली मौतों की संख्या की तुलना में सेप्सिस के कारण कहीं अधिक मौतें होती हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण घोषित किया गया है।

बढ़ती घटनाओं का कारण अस्पताल की खराब स्वच्छता, एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग या लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर स्व-दवा करना हो सकता है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सेप्सिस के विषय पर जनता को जागरूक करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और चिकित्सा स्थिति के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया जाए। निरंतर निगरानी, प्रभावी संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम, एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कसंगत उपयोग और बढ़ी हुई सार्वजनिक जागरूकता सेप्सिस और अस्पताल से मिले संक्रमण की

घटनाओं को कम कर सकती है, रोगी देखभाल में सुधार कर सकती है और संसाधनों की बेहतर प्राथमिकता में मदद कर सकती है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर वापस लौट जाएँ।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 1 दिसंबर, 2016 को पूर्वाह्न 1100 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 *दिसंबर*, 2016 / 10, *अग्रहायण* 1938 (*शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित